रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1341] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 4, 2019/चैत्र 14, 1941
No. 1341] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 4, 2019/CHAITRA 14, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2019

का.आ. 1517(अ.).—यतः, मै. एस एन पी इनफ्रास्ट्रक्चर एल.एल.पी (पूर्वतः मै. एस एन पी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड, जो तमिलनाडु राज्य में एक पूर्णतः निजी संगठन है, ने तमिलनाडु राज्य में जामिन पल्लवरम ग्राम, ताम्बरम तालुक, कांचीपुरम जिले में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियमावली 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 322(अ) दिनांक 12 फरवरी 2008 द्वारा उपयुक्त विशेष आर्थिक जोन के 11.147 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने मै. एस एन पी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड से मै. एस एन पी इनफ्रास्ट्रक्चर एल.एल.पी में नाम परिवर्तित करने के अनुरोध को पत्र दिनांक 16 जून 2016 द्वारा मंजूरी दे दी थी;

और यतः, मैं. एस एन पी इनफ्रास्ट्रक्चर एल.एल.पी, ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र से 0.906 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यतः तमिलनाडु सरकार ने उनके पत्र सं. 13108/एमआईई.2/2018–1 दिनांक 18 दिसम्बर 2018 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण प्रत्र दे दिया है;

और यतः विकास आयुक्त, मद्रास विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 0.906 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप–धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा **0.906** हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल **10.241** हेक्टेयर हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:–

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम सं.	सर्वेक्षण नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	198/8 ए	0.089
2.	203/4 बी	0.038
3.	203/7 ए-1बी	0.114
4.	203/5	0.055
5.	203/7 बी	0.120
6.	198/8 बी2	0.095
7.	203/6	0.045
8.	198/7	0.046
9.	203/2 ए	0.091
10.	203/3	0.065
11.	203/7 ए-1ए	0.136
12.	203/4ए	0.012
	कुल	**0.906**
	उपयुक्त घटाव के पष्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल	**10.241**

[फा. सं. एफ. 2/644/2006–एसईजेड,]
बी. बी. स्वेन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2019

S.O. 1517(E).— Whereas, M/s. SNP Infrastructure LLP (Formerly, M/s. SNP Infrastructure Private Limited, a fully private organization in the state of Tamil Nadu, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services at Zamin Pallavaram village, Tambaram Taluk, Kancheepuram District in the State of Tamil Nadu;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 11.147 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 322 (E) dated 12th February, 2008;

AND, WHEREAS, the Central Government, further approved the request of change of name from M/s. SNP Infrastructure Private Limited to M/s. SNP Infrastructure LLP vide letter dated 16th June, 2016;

AND, WHEREAS, M/s. SNP Infrastructure Private Limited has now proposed for de-notification of 0.906 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given its approval to the proposal vide letter No. 13108/MIE.2/2018-1 Dated 18.12.2018;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Madras Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 0.906 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 0.906 hectares**, thereby making resultant area as **10.241 hectares**, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:-

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

Sl. No.	Survey No.	Total area in Hectares
1.	198/8 A	0.089
2.	203/4 B	0.038
3.	203/7 A-1B	0.114
4.	203/5	0.055
5.	203/7 B	0.120
6.	198/8 B2	0.095
7.	203/6	0.045
8.	198/7	0.046
9.	203/2 A	0.091
10.	203/3	0.065
11.	203/7 A-1A	0.136
12.	203/4A	0.012
	Total	**0.906**
	Grand total area of SEZ after above deletion	**10.241**

[F. No. F.2/644/2006-SEZ]
B.B. SWAIN, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.04.04 19:21:58 +05'30'